<u>रजिस्टी सं. डी.एल.-33004/99</u> REGD. NO. D. L.-33004/99



ਜੀ.जੀ.-ਭੀ.एल.-अ.-16012020-215467 CG-DL-E-16012020-215467

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] No.198] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,15 जनवरी, 2020

सं 03/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 208 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के उपखंड (1) की धारा (ख) औार (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. 63/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 830(अ) तारीख 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है नामत: —

उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना में आरंभिक अनुच्छेद के पहले परतुंक की मद (ii) हटा दी जाएगी ।

[फा. सं. 550/9/2015- अनु अधि. (भू.सी.शु.)]

जगवीर सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसचूना भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. संख्यांक 830 (अ) द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित की गई थी औार इसमे अंतिम बार का.आ. 3753 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के माध्यम से अधिसूचना सं. 77/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.) द्वारा संशोधन किया गया है।

295 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

No. 03/2020- Customs (N.T.)

S.O. 208 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, No. 63/94-Customs (N.T), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, in the first proviso, the item (ii) shall be omitted.

[F. No. 550/9/2015-SO (LC)]

JAGVIR SINGH, Under Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended *vide* Notification No. 77/2019-Customs (N.T.), dated the 18th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 3753(E), dated the 18th October, 2019.